

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 985

दिनांक 27.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल तक पहुंच

985. श्री राहुल रमेश शेवले:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ राज्यों में पेयजल उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पेयजल हेतु पर्यावासों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि निर्धारित, आवंटित और उपयोग की गई है; और

(ङ) देश में प्रत्येक परिवार को पेयजल प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ङ.) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत, यह मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल के कवरेज को बढ़ाने के लिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। सुरक्षित पेयजल के कवरेज का रखरखाव पूर्णतया कवर (एफसी) बसावटों (अर्थात् 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) से अधिक सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने वाली) आंशिक रूप से कवर (पीसी) बसावटों (अर्थात् 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) से कम सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने वाली) और गुणवत्ता प्रभावित (क्यूए) बसावटों (अर्थात् रासायनिक संदूषण युक्त) के संदर्भ में किया जाता है। एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आज की तारीख तक 76.18% ग्रामीण आबादी वाली ग्रामीण बसावटों के 80.98% को उक्त मानकों के अनुसार पेयजल प्राप्त हो रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। कुछ राज्यों में औसत से कम कवरेज का कारण पेयजल स्रोतों के सूख जाने से बसावटों का स्लिप बैक होकर आंशिक रूप से कवर वाली बसावटों में चले जाना, भू-जल स्तर का कम होना, प्राकृतिक तथा मानव-निर्मित कारणों की वजह से पेयजल स्रोतों का संदूषित हो जाना, जलापूर्ति प्रणालियों का उनकी समय अवधि से अधिक समय तक टिका रहना, न्यूनतम दर की क्षमताओं पर प्रणालियों का कार्यरत रहना, प्रणालियों का खराब प्रचालन और रख-रखाव, आबादी में वृद्धि, नई बसावटों का उभरना, प्रापण प्रक्रियाओं में विलंब, बहु-ग्राम स्कीमें शुरू करना आदि शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत पेय योग्य जल के लिए बसावटों को कवर करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का राज्य वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ निर्धारित, आवंटित तथा प्रयुक्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-III** पर दिया गया है।

दिनांक 27.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 985 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक

पूर्णतया कवर बसावटों और आबादी का ब्यौरा

क्र. स.	राज्य	बसावटों की कुल संख्या		पूर्णतया कवर बसावटों की संख्या	
		कुल	कुल आबादी	कुल	कुल आबादी
	कुल	17,25,808	9,182.58	13,97,480	6,994.94
1	अंडमान एवं निकोबार	400	2.65	324	2.35
2	आंध्र प्रदेश	48,895	368.29	34,673	246.25
3	अरुणाचल प्रदेश	7,525	12.41	3,303	6.27
4	असम	88,076	296.25	55,171	173.27
5	बिहार	1,10,218	994.33	70,982	583.77
6	छत्तीसगढ़	74,753	197.99	72,775	190.45
7	गोवा	347	7.31	345	7.30
8	गुजरात	35,996	369.89	35,996	369.89
9	हरियाणा	7,655	185.06	7,305	177.39
10	हिमाचल प्रदेश	54,469	67.74	42,583	53.82
11	जम्मू एवं कश्मीर	15,778	101.26	9,481	64.22
12	झारखंड	1,20,591	273.33	1,19,724	269.66
13	कर्नाटक	59,774	395.15	34,342	294.56
14	केरल	21,520	464.71	6,144	127.52
15	मध्य प्रदेश	1,28,231	527.20	1,28,076	526.57
16	महाराष्ट्र	99,641	633.18	84,709	482.26
17	मणिपुर	2,976	23.62	2,050	17.00
18	मेघालय	10,470	26.03	4,124	10.77
19	मिजोरम	720	5.19	490	3.64
20	नागालैंड	1,450	16.74	742	9.40
21	ओडिशा	1,57,013	357.87	1,54,461	349.93
22	पुडुचेरी	266	4.38	153	3.06
23	पंजाब	15,190	177.16	10,406	125.56
24	राजस्थान	1,21,526	507.19	61,641	271.02
25	सिक्किम	2,337	4.94	861	1.72
26	तमिलनाडु	1,00,014	395.56	96,796	384.56
27	तेलंगाना	24,597	225.36	15,405	136.03
28	त्रिपुरा	8,723	44.92	4,992	27.08
29	उत्तर प्रदेश	2,60,018	1,673.52	2,56,865	1,651.86
30	उत्तराखंड	39,311	71.93	23,156	43.51
31	पश्चिमी बंगाल	1,07,328	751.42	59,405	384.25
	कुल	17,25,808	9,182.58	13,97,480	6,994.94
प्रतिशत				80.98	76.18

स्रोत: आईएमआईएस डीडीडब्ल्यूएस, जल शक्ति मंत्रालय।

अनुलग्नक-II

दिनांक 27.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 985 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धि का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20 (24.06.2019 की स्थिति के अनुसार)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (राज्यों द्वारा अभी सूचित किया जाना है)
1	अंडमान एवं निकोबार	5	0	7	0	8	0	0	-
2	आंध्र प्रदेश	1005	1373	1124	1071	2522	3166	597	-
3	अरुणाचल प्रदेश	188	126	248	114	1162	165	236	-
4	असम	1752	382	1945	245	6160	1267	2995	-
5	बिहार	7777	1289	9263	266	5466	1082	1024	-
6	छत्तीसगढ़	4169	997	4908	971	1357	878	117	-
7	गोवा	2	0	3	0	2	0	0	-
8	गुजरात	32	1605	27	1781	0	145	0	-
9	हरियाणा	263	290	348	278	186	405	32	-
10	हिमाचल प्रदेश	1300	938	1765	873	1227	651	367	-
11	जम्मू एवं कश्मीर	380	260	513	322	3631	338	512	-
12	झारखंड	1430	3074	1286	4007	540	1071	106	-
13	कर्नाटक	12000	17434	15048	12448	4054	19429	1561	-
14	केरल	463	291	563	192	1188	203	222	-
15	मध्य प्रदेश	338	7420	280	9849	75	8209	3	-
16	महाराष्ट्र	1955	1270	2557	638	5602	635	1291	-
17	मणिपुर	50	103	68	77	542	82	23	-
18	मेघालय	110	82	143	71	620	216	19	-
19	मिजोरम	35	35	48	20	245	43	19	-
20	नागालैंड	54	167	63	106	410	54	6	-
21	ओडिशा	9300	8196	12101	4007	557	11923	24	-
22	पुडुचेरी	5	0	7	0	17	0	0	-
23	पंजाब	779	647	776	1046	1528	366	553	-
24	राजस्थान	2039	2908	1982	3922	8875	5199	2915	-
25	सिक्किम	40	14	54	31	156	199	119	-
26	तमिलनाडु	3269	2910	4209	2291	2198	1580	658	-
27	तेलंगाना	915	1121	1124	1475	1717	1272	1273	-
28	त्रिपुरा	565	571	424	142	743	191	410	-
29	उत्तर प्रदेश	1354	1838	1642	403	2489	2085	504	-
30	उत्तराखंड	495	484	668	565	1175	936	709	-
31	पश्चिमी बंगाल	4766	5217	5576	6200	6821	6014	3376	-
कुल		56835	61042	68770	53411	61273	67804	19671	-

स्रोत: आईएमआईएस डीडीडब्ल्यूएस, जल शक्ति मंत्रालय

दिनांक 27.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 985 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यवार आबंटन, रिलीज और व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20 (24.06.2019 के अनुसार)		
		आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय
1	अंडमान एवं निकोबार	0.45	0.22	0	0.43	0	0	0.62	0.31	0	0.79	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	181.02	204	157.38	159.51	233.09	267.03	197.56	185.85	186.28	239.03	0.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	100.89	92.84	95.71	77.51	63.08	62.93	96.95	90.89	97.21	113.58	0.00	0.00
4	असम	401.43	348.06	203.09	524.1	474.8	387.2	567.89	300.76	311.22	445.51	0.00	0.00
5	बिहार	311.7	373.81	470.96	394.53	355.6	216.1	476.63	234.84	148.48	413.33	0.00	0.00
6	छत्तीसगढ़	70.65	84.28	65.66	64.33	49.84	49.89	95.47	48.19	43.41	118.65	0.00	0.00
7	गोवा	2.44	1.19	3.35	2.32	0	1.83	3.34	1.67	3.07	4.25	0.00	0.00
8	गुजरात	281.14	278.5	265.16	231.62	290.86	315.14	237.09	222.27	223.42	301.47	0.00	0.00
9	हरियाणा	114.53	111.53	114.2	118.95	88.82	87.34	81.88	76.76	94.48	103.83	0.00	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	69.65	83.31	64.73	66.02	101.85	129.42	91.12	85.43	85.43	115.86	0.00	0.00
11	जम्मू एवं कश्मीर	232.88	225.14	219.94	222.26	325.33	344.86	309.07	249.34	251.88	392.93	0.00	0.00
12	झारखंड	115.86	131.74	157.89	172.68	209.09	171.47	207.97	85.12	136.73	158.11	0.00	0.00
13	कर्नाटक	360.07	343.72	339.83	290.86	365.81	272.77	331.04	276.06	433.95	392.64	0.00	0.00
14	केरल	62.54	75.22	74.21	56.88	95.16	95.53	90.37	84.86	84.62	113.27	0.00	0.00
15	मध्य प्रदेश	213.87	232.26	212.48	195.67	135.51	163.35	274.09	243.62	250.43	346.85	0.00	0.00
16	महाराष्ट्र	413.57	404.45	412.32	338.13	282.47	187.84	474.16	239.06	258.4	598.53	0.00	0.00
17	मणिपुर	41.83	39.38	18.87	32.2	66.25	68.3	40.25	37.73	65.11	47.15	0.00	0.00
18	मेघालय	42.02	40.42	50	41.86	85.91	87.43	52.43	49.15	48.71	61.37	0.00	0.00
19	मिजोरम	25.33	24.49	24.82	22.4	46.1	25.93	28	26.25	46.46	32.80	0.00	0.00
20	नागालैंड	37.93	36.84	36.2	27.66	17.88	18.77	34.72	17.36	17.36	40.43	0.00	0.00
21	ओडिशा	114.99	134.96	100.14	102.69	83.59	93.48	154.99	128.82	172.45	196.34	0.00	0.00
22	पुडुचेरी	0.86	0.29	0	0.82	0	0	1.29	0	0	1.63	0.00	0.00
23	पंजाब	46.02	51.89	53.56	115.25	173.29	103.64	125.97	119.41	112.78	142.97	0.00	0.00
24	राजस्थान	1114.55	1072.92	681.21	891.95	714.24	728.81	692.13	655.41	878.48	736.68	0.00	0.00
25	सिक्किम	14.77	19.42	15.21	9.3	17.51	11.6	11.62	10.89	21.06	13.61	0.00	0.00
26	तमिलनाडु	155.29	174.68	175.08	121.61	185.1	191.4	180.99	167.31	168.92	222.01	0.00	0.00
27	तेलंगाना	117.03	133.09	111.89	775.01	843.56	592.47	131.4	123.18	420.9	168.25	0.00	0.00
28	त्रिपुरा	39.48	43.73	38.73	32.26	83.93	42.77	55.18	51.73	53.88	65.60	0.00	0.00
29	उत्तर प्रदेश	602.41	621.95	639.54	539.09	472.52	616.77	713.95	670.72	755.08	638.25	150.00	0.00
30	उत्तराखंड	90.88	71.86	99.69	68.42	110.28	138.2	99.17	92.97	91.85	125.75	0.00	0.00
31	पश्चिमी बंगाल	437.17	418.97	423.68	810.48	996.68	599.45	917.82	890.28	547.47	534.35	0.00	0.00
कुल		5813.25	5875.16	5325.5	6506.8	6968.2	6071.7	6,775.16	5,466.24	6,009.52	6,885.85	150.00	0.00

* राज्यों द्वारा अभी सूचित किया जाना है

स्रोत: आईएमआईएस डीडीडब्ल्यूएस, जल शक्ति मंत्रालय